तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/टीए/3591/2005/धौलपुर चरन सिंह बनाम नेकसे व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.6.2023	**खण्डपीठ** **श्री आर0डी0 मीणा, सदस्य** **श्री रामनिवास जाट, सदस्य** **उपस्थित** श्री राजेश गौतम, अधिवक्ता अपीलांटस। अधिवक्ता रेस्पो0 अनुपस्थित रेस्पो0 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। **निर्णय** यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अंतर्गत न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27–11–2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट/वादी ने रेस्पो0/प्रतिवादी के विरूद्ध एक राजस्व वाद बाबत् इस्तकारहक, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत विद्वान उपखण्ड अधिकारी, राजाखेड़ा के न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि का 1/3 हिस्से का खातेदार वादी है एवं 1/3 हिस्से का खातेदार प्रतिवादी है। काशीराम वादी का चाचा था एवं वह वादी के पास रहता था जो नाऔलाद फौत हो गया। प्रतिवादी संख्या 1 काशीराम का भाई है एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 काशीराम के भतीजे है। काशीराम ने वादी की सेवा से प्रसन्न होकर दिनांक 16.02. 1999 को अपनी संपत्ति की वसीयत वादी के हक में कर दी किंतु प्रतिवादी के मन में बेईमानी आ जाने से विवादित भूमि को अपने नाम करवाना चाहते है। इस कारण वादी ने परीक्षण न्यायालय के समक्ष दावा पेश किया। प्रतिवादी द्वारा अपना जवाबदावा प्रस्तुत करते हुये वादी के कथनों को अस्वीकार किया। परीक्षण न्यायालय ने दावा एवं जवाबदावा के आधार पर तीन तनकीयात कायम करते हुये अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.07.2003 से वादी/अपीलांट का वाद को डिक्री कर दिया। परीक्षण न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्ध	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/टीए/3591/2005/धौलपुर चरन सिंह बनाम नेकसे व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रेस्पो0/प्रतिवादी ने अपीलीय न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के समक्ष एक अपील पेश की गई। अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 08.07.2005 से अपील को स्वीकार करते हुये प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया। अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय से ग्रसित होकर यह अपील मंडल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस अपील में सुनी गयी। योग्य अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका कथन है कि अपीलीय न्यायालय ने इस बात पर गौर नहीं किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 को अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिये 3 अवसर दिये थे एवं दो बार हर्जाना लगाया था परंतु उसने अपनी ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं की थी। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि अनुसार प्रकरण का निर्णय किया था परंतु अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त स्वविवेकिय निर्णय में हस्तक्षेप कर अपने निर्णय से उसे निरस्त करने में विधिक त्रुटि कारित की है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलीय न्यायालय ने इस बात पर गौर नहीं किया कि परीक्षण न्यायालय ने ठोस आधार पर वाद को निर्णित किया था जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं होते हुये भी प्रकरण को रिमाण्ड करने का आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/टीए/3591/2005/धौलपुर चरन सिंह बनाम नेकसे व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

हमने योग्य अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व राजस्व रिकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया।

इस प्रकार इस प्रकरण में उपरोक्त समस्त विवेचन एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमियों के संबंध में अपीलांट व रेस्पो0 पक्ष के मध्य दावा वास्ते घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के संबंध में विचाराधीन था। उक्त दावे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कुल तीन तनकीयात कायम करने के उपरांत वादीगण का वाद दिनांक 10.07.2003 को डिक्री किया गया था।

उक्त निर्णय की अपील अधीनस्थ न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के समक्ष किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की सुनवाई करने के उपरांत अपने निर्णय दिनांक 08.07.2005 में अंकित किया है कि :–

''दोनो पक्षों के विद्वान वकीलों की बहस पर मनन किया पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात को ध्यानपूर्वक देखा एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को पढ़ा गया तो विवेचन इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारों को साक्ष्य सबुत का अवसर दिया गया है किंतु कथित दोनों पक्षकारों की वसीयत के संबंध में इनके द्वारा पर्याप्त साक्ष्य नहीं लिये गये जबकि मृतक घासीराम द्वारा दिनांक 16.12.1999 को रेस्पो0 के पक्ष में तथा 19.12.1999 को अपीलांट के पक्ष में वसीयत करवाई गई। जिनके संबंध में रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 63 के तहत साक्ष्य के बयान कराते हुये वसीयतों के वास्तविकता के बारे में जानना आवश्यक है। इस संबंध में अपीलांट को भी पर्याप्त सुनवाई एवं सबुत का अवसर दिया जाना चाहिये था जो नहीं दिया गया।''

इस प्रकार अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा संदर्भित वसीयतनामें के संबंध में उभयपक्षों को साक्ष्य का अवसर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/टीए/3591/2005/धौलपुर चरन सिंह बनाम नेकसे व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रदान करने के उपरांत वसीयतनामें की वैधता के संबंध में निष्कर्ष निकालने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया है। यह सही है कि वसीयतनामें की वैधता के संबंध में निष्कर्ष निकालने के उपरांत वादग्रस्त भूमियों में उभयपक्षों के विधिक अधिकारों का गुणावगुण पर अंतिम निस्तारण विधिक रूप से संभव हो सकेगा। अतः अपीलीय न्यायालय के उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08–07–2005 में हम किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि या अनियमितता नहीं पाते है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अपीलीय न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर का निर्णय दिनांक 08–07–2005 यथावत रखा जाता है।

निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
सदस्य

(आर0डी0मीणा)
सदस्य